GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1933
TO BE ANSWERED ON 13.03.2023

OPTION FOR HIGHER PENSION SCHEME

1933. PROF. SOUGATA RAY:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Government has any proposal to extend the time for option for Higher Pension Scheme;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether any Central Trade Unions/other stakeholders demanded the same; and
(d) if so, the details thereof and the steps taken in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)

(a) & (b): The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) on 29.12.2022 has issued instructions to call for online applications from pensioners who had retired before 01.09.2014 and had exercised joint options for contributing to pension fund on salary exceeding wage ceiling before their retirement but whose joint options were rejected by the EPFO (on account of cut-off date). The last date of submission of such applications was 3rd March, 2023.

Further, instructions have been issued by EPFO on 20.02.2023 for calling online joint option from members who were members on 01.09.2014 and who were contributing to Provident Fund on higher wages. Online facility for exercise of joint options from such eligible employees has been launched by EPFO on its website and is available up to 3rd May 2023.

(c) & (d): Representation dated 25.02.2023 has been received from Food Corporation of India Retired Employees' Welfare Association for extending the last date for submitting validation application by those pensioners who retired before 01.09.2014.

******

https://www.govtstaff.com

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1933
सोमवार, 13 मार्च, 2023 / 22 फाल्गुन, 1944 (शक)

उच्चतर पेंशन योजना हेतु विकल्प

1933. प्रो. सौगत राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उच्चतर पेंशन योजना के विकल्प के लिए समय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय व्यापारिक संघों/अन्य हितधारकों ने इसकी मांग की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दिनांक 29.12.2022 को उन पेंशनभोगियों से ऑनलाइन आवेदन मंगाने के निर्देश जारी किए हैं जो दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान करने के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था लेकिन उनके संयुक्त विकल्प ईपीएफओ द्वारा (कट-ऑफ तारीख के कारण) अस्वीकार कर दिए गए थे। ऐसे आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 3 मार्च, 2023 थी।

इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को उन सदस्यों से ऑनलाइन संयुक्त विकल्प मांगने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जो दिनांक 01.09.2014 को सदस्य थे और जो उच्च वेतन पर भविष्य निधि में अंशदान कर रहे थे। ऐसे पात्र कर्मचारियों से संयुक्त विकल्पों का प्रयोग करने के लिए ऑनलाइन सुविधा ईपीएफओ द्वारा अपनी वेबसाइट पर शुरू कर दी गई है और यह 3 मई 2023 तक उपलब्ध है।

(ग) और (घ): दिनांक 25.02.2023 को भारतीय खाद्य निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ से उन पेंशनभोगियों द्वारा सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।

*****

https://www.govtstaff.com